

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढी

जिला बाँसवाड़ा

दिनेश पिल रजनीकान्त शर्मा
किस्म मुकदमा - विवाही पाम्रोडा

क्र.बनाम

राजेश पिल दिनेशकान्त शर्मा
विवाही पाम्रोडा

प्रकरण संख्या 1/2017

88 Q.A. 136 L.R.A.

हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

तारीख हुक्म

21/1/17

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी दिनेश निवासी पाम्रोडा पिता रजनीकान्त शर्मा जाति शर्मा ने अन्तर्गत धारा 88-136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी रजनीकान्त शर्मा पिता दिनेश शर्मा निवासी पाम्रोडा के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/2/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बाँसवाड़ा

21/2/17

पत्रावली पेश 351 वकील वरिष्ठ इन्फिंट डे डिविडिगण ल. 1 को लखी सेव तलवला पेश डेकेपट लखी डेड पत्रावली दिनांक 28/3/17 को पेश डे।

28/3/17

पत्रावली पेश 351 वकील वरिष्ठ उपखण्ड इ डिविडिगण ल. 1 को लखी सेव तलवला पेश डेकेपट लखी डे डेकेपट लखी पत्रावली दिनांक 19/4/17 को पेश डे।

19/4/17

पत्रावली पेश 351 वकील वरिष्ठ उपखण्ड जी हाउ P 0 साहब राज काडे से व्यक्त डेके डे पत्रावली डेकेपट लखी डेकेपट लखी दिनांक 17/5/17 को पेश डे।

ख
स

हुकम या कार्यवाही नय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
वहकान जो
इस हुकम की
तानील में जारी
हुर।

2.18

फतावली पेश हुई। जारी आदेशनामक उपस्थित।
फतावली का अवलोकन किया गया। उक्तपत्र के बाद
के साथ साथ आदेशनाम की उरीया उरुत गरी
की गई है तथा जारी आदेशनामक को उरीया
की तलबी उरुत करने कई बाद निर्दिष्ट
किये (जाने के उपरान्त भी तलबाना पेश गरी
किया गया) अतः फतावली स्वादिष्ट की जाकर
बाद दाखला दाखिल दफतर की जाती है।

पेश
शेष

हुकम
शेष

हुकम
शेष

हुकम
शेष

हुकम
शेष

हुकम
शेष

हुकम
शेष